न्यायालय:--राजेन्द्र कुमार अहिरवार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चन्देरी, जिला-अशोकनगर (म.प्र.)

<u>दांडिक प्रकरण कं.-11/14</u> संस्थापित दिनांक-03.01.2014 Filling No-235103000602014

म.प्र. राज्य द्वारा आरक्षी केंद्र थाना चंदेरी, जिला अशोकनगर (म.प्र.)

----अभियोगी।

बनाम

राजपाल पुत्र वीरसिंह यादव, उम्र—32 वर्ष, निवासी ग्राम—खिरका, थाना चंदेरी जिला—अशोकनगर (म.प्र.)।

————अभियुक्त

<u>//निर्णय//</u> (आज दिनांक 04.06.2018 को घोषित)

- 01— अभियुक्त पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 294, 341, 327 एवं 506 भाग—दो के अंतर्गत घटना दिनांक 30.09.2013 को 10:30 बजे हटोईया पुलिया के पास ग्राम खिरका थाना थूबोन में आहत बबलू का रास्ता रोककर उसे उस दिशा में जाने से रोका जिस दिशा में उसे जाने का अधिकार था, आहत बबलू से अवैध रूप से 200/— रूपये की मांग कर उद्यापित कर आहत के गाल में 3—4 चांटे मारकर स्वेच्छया उपहित कारित करने तथा बबलू को मां—बहन की अश्लील गालियां देकर उसे तथा सुनने वालों को क्षोभ कर तथा सदोष अवरोध कारित कर आहत को जान से मारने की धमकी देकर क्षोभ कारित कर आपराधिक अभित्रास कारित करने का अभियोग है।
- 02— अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी बबलू ने अपने भाई लालूसिंह के साथ थाना थूबोन चौकी पर इस आशय की मौखिक रिपोर्ट की कि वह दिनांक 30.09.13 को सुबह करीबन साढे दस बजे मजदूरों को खेत पर छोड़कर घर तरफ आ रहा था। पुलिया के पास रोड़ पर उसके गांव का राजपाल यादव उसे मिला और उसे रोककर बोला कि दारू पीने के लिये कल पैसे मांगे थे लेकिन नहीं दिये और फरियादी ने आज पैसे देने के लिये कहा था। तब फरियादी ने आरोपी से कहा कि वह मजदूरों को पैसा देकर आ रहा है अभी उसके पास नहीं है। इसी बात पर से आरोपी ने फरियादी की शर्ट की कालर पकड़कर उसे तीन चार चांटे बांये गाल में मारे जिससे फरियादी को मूंदी चोट लगी तथा आरोपी उससे बोला मादरचौद पैसा नहीं दिया तो जान से खतम कर दूंगा। बंशी यादव, तिलक सिंह एवं आशाराम यादव

ललोई ने आकर बीच बचाव किया। पुलिस द्वारा आहत का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया। घटना का मौका नक्शा प्रदर्श पी—2 बनाया गया। आहत बबलू, साक्षी लालू, बंशीलाल, अशाराम, तिलक सिह एवं राजकुमार के कथन लेख किये गए। अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया तथा संपूर्ण विवेचना उपरान्त अभियोगपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

03— अभियुक्त के विरुद्ध धारा 294, 341, 327 एवं 506 भाग—दो भारतीय दण्ड संहिता का आरोप पत्र विरचित कर पढ़कर सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्त ने आरोप अस्वीकार किया तथा विचारण की मांग करने का अभिवाक् अंकित किया गया। प्रकरण में अभियुक्त का धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत अभियुक्त परीक्षण प्रश्नोत्तर के रूप में अंकित किया गया। अभियुक्त को बचाव साक्ष्य में प्रवेश दिलाया गया तो अभियुक्त ने बचाव साक्ष्य न देना व्यक्त किया तथा अभियुक्त द्वारा रंजिशन झूटा फंसाया जाना व्यक्त किया है।

04- प्रकरण के निराकरण के लिए न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय बिन्दु हैं:-

- 4. क्या अभियुक्त ने घटना दिनांक 30.09.2013 को 10:30 बजे हटोईया पुलिया के पास ग्राम खिरका थाना थूबोन में फरियादी बबलू से अवैध रूप से 200/ रूपये की मांग कर उद्यापित कर मारपीट कर स्वेच्छया उपहित कारित की?
- 2. क्या अभियुक्त ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर आहत बबलू को मां –बहन की अश्लील गालियां देकर उसे तथा सुनने वालों को क्षोभ कारित किया ?
- 3. क्या अभियुक्त ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर आहत बबलू का रास्ता रोककर उसे उस दिशा में जाने से रोका जिस दिशा में उसे जाने का अधिकार था, सदोष अवरोध कारित किया ?
- 4. क्या अभियुक्त ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर आहत बबलू को जान से मारने की धमकी देकर क्षोभ कारित कर आपराधिक अभित्रास कारित किया ?

विचारणीय बिन्दु कमांक 1 पर सकारण निष्कर्ष:-

05— प्रकरण के आहत बबलू यादव (अ.सा.—1) ने अपनी न्यायालीन साक्ष्य में व्यक्त किया कि वह घटना के समय अपने खेत पर मजदूर छोड़कर आ रहा था तब आरेापी ने उससे शराब पीने के लिये दो सौ रूपये मांगे थे, जब उसने पैसे देने से मना किया तो आरोपी उसे मां बहन की गांलियां देने लगा और हाथ से मारपीट करने लगा। घाटना के समय बीच बचाव तिलक सिह, बंशीलाल व आशाराम ने किया था। उक्त साक्षी ने अभियुक्त के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रपी—1 तथा मौका नक्शा प्रपी—2 के ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर होना प्रमाणित किया। बचाव पक्ष की ओर से फरियादी के कथनों का उसके प्रतिपरीक्षण में कोई खंडन नहीं किया गया है जिससे फरियादी के कथन अखंडनीय रहे हैं।

06— प्रकरण के साक्षी लालूसिंह (अ.सा.—2) ने अभियोजन की घटना का समर्थन करते हुये आरोपी द्वारा फिरयादी से शराब पीने के लिये दो सौ रूपय की मांग करना व रूपये न देने पर फिरयादी के साथ आरोपी द्वारा मारपीट करना प्रकट किया गया है। साक्षी ने यह व्यक्त किया कि घटना की जानकारी उसे स्वयं फिरयादी बबलू द्वारा घर आकर दी थी। प्रकरण के फिरयादी ने बबलू ने घटना का अपने न्यायालीन कथनों से पुष्टि की है। इस प्रकार साक्षी लालू (अ.सा.—2) अनुश्रत साक्षी होते हुये फिरयादी के कथनों का समर्थन किया है। इस साक्षी ने भी फिरयादी बबलू के साथ घटना की रिपोर्ट थाना में लेख कराया जाना प्रकट किया है। बचाव पक्ष द्वारा इस साक्षी का सुझाव दिया गया कि उसकी व फिरयादी की आरोपी से पुरानी रंजिश चल रही है, जिसके कारण भी वह उसके विरुद्ध न्यायालय में कथन कर रहा है। उक्त सुझाव को साक्षी ने पूर्ण रूप से अस्वीकार किया है।

07— साक्षी आशाराम (अ.सा.—4) ने अभियोजन की कहानी का पूर्णतः समर्थन न करते हुये मात्र यह प्रकट किया है कि आरोपी व फरियादी के मध्य विवाद होने की उसे जानकारी है जिससे अभियोजन द्वारा उक्त साक्षी से सूचक प्रश्नों में आरोपी द्वारा दो सौ रूपये फरियादी से मांगे जाने व न देने पर मारपीट करने के संबंध में सुझाव दिये गये, जिसे साक्षी ने अस्वीकार किया है। किंतु साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका—3 में बचाव पक्ष के सुझाव पर से यह प्रकट किया है कि उसके समक्ष धक्का मुक्की हो रही थी वह घटना स्थल पर दो तीन मिनट बाद पहुंचा था, तब फरियादी बबलू ने उसे घटना बतायी थी। इससे यह स्पष्ट है कि इस साक्षी ने घटना होते हुये देखी है। किंतु किसी कारणवश वह संपूर्ण घटना के बारे में न्यायालय में कथन नहीं कर रहा है। लेकिन साक्षी ने आरोपी व फरियादी के मध्य घटना के समय झगडा होना स्वीकार करते हुये घटना घटित होने के संबंध में अभियोजन का अशतः समर्थन किया है।

08— साक्षी तिलक सिंह (अ.सा.—5) ने अपने फरियादी के कथनों व अभियोजन कहानी का मुख्य साक्ष्य में समर्थन किया है, लेकिन साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में हाटना अपने समक्ष होने अथवा देखे जाने से इंकार किया है। इस प्रकार साक्षी ने हाटना के संबंध में अपनी मुख्य साक्ष्य व प्रतिपरीक्षण में विरोधाभाषी कथन किये है जिसको अभियोजन की ओर से स्पष्ट नहीं कराया गया है कि साक्षी के कौनसे कथन सत्य है। ऐसी स्थिति में साक्षी के कथनों की अस्पष्टता का लाभ अभियुक्त को प्राप्त हुआ। इस प्रकार उक्त साक्षी के कथन विरोधाभाषी प्रकृति के होने से विश्वसनीय नहीं कहे जा सकते। किंतु प्रकरण के विवेचक राजकुमार (अ.सा.—6) ने प्रकरण के सभी साक्षियों के कथन उनके बताये अनुसार लेख करना, घटना का नक्शा मौका प्रपी—2 तथा अभियुक्त को गिरफतारी पंचनामा प्रपी—4 के द्वारा गिरफतार करना अपनी साक्ष्य में प्रमाणित किया है, जिसका बचाव पक्ष की ओर से साक्षी के प्रतिपरीक्षण में खंडन नहीं किया गया है।

09— प्रकरण के चक्षुदर्शी साक्षी बंशीलाल (अ.सा.—3) ने अभियोजन की घटना का कोई समर्थन नहीं किया है। किंतु प्रकरण के फरियादी बबलू यादव (अ.सा.—1),

लालू यादव (अ.सा.—2) ने अपनी अखंडनीय साक्ष्य में अभियुक्त द्वारा फरियादी से शराब पीने के लिये रूपये मांगना प्रमाणित किया है, जिसका समर्थन साक्षी आशाराम (अ.सा.—4), तिलक सिंह (अ.सा.—5), राजकुमार (अ.सा.—6) के कथनों से होता है। बचाव पक्ष की ओर से फरियादी बबलू के न्यायालीन कथन व पूर्ववती कथन एवं प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रपी—1 में कोई विरोधाभाष होना प्रकट नहीं किया गया है। प्रकरण में बचाव पक्ष द्वारा यह प्रमाणित नहीं किया गया है कि फरियादी ने रंजिशवश आरोपी के विरुद्ध फंसाने के लिये झूंठी रिपोर्ट की है और न ही यह प्रकट किया है कि विवेचक का अभियुक्त को प्रकरण में फसाये जाने का कोई उददेश्य या कारण रहा है। जिससे यह प्रमाणित होता है कि अभियुक्त ने स्वेच्छया पूर्वक फरियादी बबलू से शराब पीने के लिये घटना दिनांक को पैसे की मांग की। अतः विचारणीय प्रश्न कमांक 1 प्रमाणित होना पाया जाता है।

विचारणीय बिन्दू कमांक 2, 3 व 4 पर सकारण निष्कर्ष:-

- 10— साक्ष्य की पुनरावृति से बचने के लिये उक्त विचारणीय प्रश्नों का विचारण एक साथ किया जा रहा है। साक्षी बबलू यादव (अ.सा.—1) ने यह प्रकट किया है कि अभियुक्त ने शराब पीने के लिये मां—बहन की गालियां देते हुये रूपयों की मांग कर मारपीट कर तथा पैसे न देने पर जान से मारने की धमकी दी थी। जबिक प्रकरण के अन्य साक्षी लालू यादव (अ.सा.—2), बंशीलाल (अ.सा.—3), आशाराम (अ.सा.—4), तिलक सिह (अ.सा.—5) ने अभियुक्त द्वारा फरियादी को जान से मारने की धमकी देने के संबंध में अपनी साक्ष्य में कोई कथन नहीं किया है। फरियादी के कथनों से यह प्रकट नहीं होता है कि अभियुक्त द्वारा दी गयी धमकी से उसे कोई संत्रास कारित हुआ हो एवं अभियुक्त द्वारा आहत को कौनसे अश्लील शब्द की गांलियां दी गयी थी, साक्ष्य से दर्शित नहीं होता है। अभियुक्त द्वारा जान से मारने की धमकी देने का एवं अश्लील शब्द उच्चारित करने का, प्रकरण के अन्य साक्षियों द्वारा समर्थन नहीं किया गया है, जिससे यह प्रमाणित नहीं होता है कि अभियुक्त ने फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर संत्रास कारित किया है एवं अभियुक्त ने आहत को सार्वजनिक स्थान पर अश्लील शब्द उच्चारित कर क्षोभ कारित किया जाना प्रमाणित नहीं पाया जाता है।
- 11— प्रकरण में फरियादी व साक्षियों ने अभियुक्त द्वारा आहत को किसी दिशा विशेष में जिसमें उसे जाने का अधिकार था, को बल पूर्वक रोकने के संबंध में कोई कथन अपनी न्यायालीन साक्ष्य में नहीं किया है। जिससे यह प्रमाणित नहीं होता है कि अभियुक्त ने आहत को बल पूर्वक किसी दिशा विशेष में जाने से रोककर सदोष अवरोध कारित किया है।
- 12— उपरोक्त विवेचना से अभियुक्त राजपाल यादव के विरुद्ध अश्लील शब्द उच्चारित कर क्षोभ कारित करने सदोष अवरोध कारित करना व जान से मारने की धमकी देने से फरियादी को संत्रास कारित करने के संबंध में अभियोजन अपना मामला प्रमाणित करने में असफल रहा है, जिससे अभियुक्त राजपाल पुत्र वीरसिंह यादव, निवासी ग्राम—खिरका जिला अशोकनगर (म.प्र.) को भारतीय दण्ड संहिता

की धारा 294, 341 एवं 506 भाग—दो के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। किंतु अभियोजन अभियुक्त राजपाल के विरुद्ध धारा 327 भारतीय दण्ड संहिता का अपराध प्रमाणित करने में सफल रहा है जिससे अभियुक्त राजपाल यादव को धारा 327 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध में सिद्धदोष पाते हुये दोषसिद्ध किया जाता है।

13— अभियुक्त राजपाल यादव द्वारा कारित अपराध की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुये अभियुक्त को परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः निर्णय दण्ड के प्रश्न पर सुने जाने हेतु थोडी देर के लिये स्थगित किया जाता है।

राजेन्द्र कुमार अहिरवार न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

पुनश्च:-

14— दण्ड के प्रश्न पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने यह व्यक्त किया अभियुक्त को न्यूनतम दण्ड से दंडित किया जावे। उक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त राजपाल यादव को निम्नानुसार दंडित किया जाता है :—

अभियुक्त का नाम	धारा	कारावास	जुर्माना	जुर्माना अदा न करने की दशा में कारावास
राजपाल यादव	धारा ३२७	छः माह का	500 / — (पांच सौ	जुर्माने के व्यतिक्रम
पुत्र वीरसिंह	भारतीय दण्ड	सश्रम	रूपये मात्र)	में दो माह का
यादव	संहिता	कारावास	जुर्माना	सारधारण कारावास

- 15— अभियुक्त के जमानत एवं मुचलके भारमुक्त किये जाते है।
- 16- प्रकरण में कोई संपत्ति जप्त नही है।
- 17— अभियुक्त का धारा 428 दंड प्रक्रिया संहिता का अभियुक्त अभिरक्षा अवधि का प्रमाण पत्र बनाया जावे।
- 18- अभियुक्त का सजा वारंट बनाया जावे।
- 19— अभियुक्त को निर्णय की निःशुल्क प्रति प्रदान की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में घोषित कर हस्ताक्षरित,दिनांकित किया गया। मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।

राजेन्द्र कुमार अहिरवार न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी, जिला अशोकनगर (म.प्र.)

राजेन्द्र कुमार अहिरवार न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी, जिला अशोकनगर (म.प्र.)